

17

राजस्थान-सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सीकर

क्रमांक -

/राजरव/08

दिनांक -

संपरिवर्तन आदेश

श्री जरिये सचिव मुन्नालाल पुत्र श्री हरफूल सिंह जाति जाट निवासी लक्ष्मण का बास तहसील व जिला सीकर के आवंटन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकुषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8 (2)/8 (3) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवंटक खातेश्वर अधिकारी का नाम व पता/प्रति के नाम सहित पूरा पता	सरस्वती शिक्षा निकेतन ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर जरिये सचिव मुन्नालाल पुत्र श्री हरफूल सिंह जाति जाट निवासी लक्ष्मण का बास तहसील व जिला सीकर
2.	क्या आवंटक अनु. जाति/अनु. जनजाति का शायद है	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा	
(क)	ग्राम/ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	नानी ग्राम पंचायत नानी तहसील व जिला सीकर
(ख)	भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (है में)	526 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नं. 1394/534 रकबा 0.09 हैक्टर
(ग)	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपवर्धित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है./घर्गमीटर में)	526 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नं. 1394/534 रकबा 0.09 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.27 हैक्टर अर्थात् 2700 वर्ग मीटर
टिप्पणी :- (अकुषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की स्थापित प्रति संलग्न करें।) प्रति संलग्न है		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ (सरथानिक)
5.	सर्दम प्रीमियम की दर	$200 \times 4 = 800.00$ $1800 \times 8 = 14400.00$ $700 \times 16 = 11200.00$ Total = 26400.00 शरति 25 % सी = 6600.00 कुल योग = 33,000.00
6.	चालान संख्या तथा तारीख सहित जमा करवाई गई सीमितन की राशि	

लगातार2

7	चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्त्र यदि कोई हो की जमा कराई गई राशि	शून्य
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई राशि	शून्य
9	क्या आदेश नियन्त्रिकरण के लिये नियम 12 के अधीन जारी किया गया है?	हाँ
10	अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो	

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:-

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो यह अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन संपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. संपरिवर्तित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य हाइवे अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित दूरी व ऊंचाई तक ही किया जाना वैध होगा।

क्रमांक 151-156 /राजस्व/06/

दिनांक 8.2.07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर
2. तहसीलदार तहसील सीकर।
3. जिला राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय सीकर।
4. सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पटवारी इस्का
5. साचिव, सरस्वती शिक्षा निकेतन ग्राम नानी तहसील सीकर।

विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर